न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/128/2021 रजि0 नं0 2021/242

प्रवेश तिथि 10.08.2021

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री अमरचन्द मीना, निवासी–9/743, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली–110003		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 20.09.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का विशुद्ध परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने इस अधिनियम अंतर्गत आवेदन–पत्र दिनांकः 22.06.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को पूर्व में प्रेषित RTI आवेदन दिनांकः 01.04.2021 के परिप्रेक्ष्य में प्रेषित सूचना/विनिश्चय–पत्र सं. 3627–26 दिनांकः 15.06.2021 पर आक्षेप कर 03 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
5. उक्त आवेदन के परिप्रेक्ष्य में सूचना नहीं मिलने व तत्संबंधी RTI आवेदन दिनांकः 01.04.2021 के परिप्रेक्ष्य में प्रेषित सूचना/विनिश्चय–पत्र सं. 3627–26 दिनांकः 15.06.2021 पर आक्षेप व्यक्त कर पुनः सूचना दिलाने बाबत इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब के साथ सुनवाई दिनांकः 31.08.2021 को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई।
7. दिनांकः 31.08.2021 को अपीलार्थी उपस्थित हुआ, साथ ही प्रत्यर्थी की ओर से श्रीमती वन्दना शर्मा, शाखा लिपिक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, जिला परिषद, अलवर उपस्थित हुई। इनके द्वारा जवाब नोटिस, पत्रांक जिपअ/जॉच/2021/5218 दिनांकः 27.08.2021 न्यायालय को पेश किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
8. हमने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नोटिस जवाब व अपीलार्थी द्वारा अपील प्रा0पत्र दिनांकः 03.08.2021 में उठाये गये तथ्यों का परीक्षण किया।

जिला कलक्टर, अलवर

9. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 22.06.2021 के परिप्रेक्ष्य में पत्र क्रमांकः जिपअ/पंचा./2021/4190 दिनांकः 09.07.21 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय कर 08 पृष्ठीय संसूचना से अवगत कराया जा चुका है। प्रथम अपील प्रा0पत्र दिनांकः 03.08.2021 के अनुसरण में पुनः पत्र सं. जिपअ/जॉच/2021/5218 दिनांकः 27.08.2021 के माध्यम से इस न्यायालय को अवगत कराते हुए अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।

10. अपील के तथ्यों पर मनन करने पर अपील प्रा0पत्र में प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना को लेकर अपीलार्थी की परिवेदना परिलक्षित होती है जिसका RTI Act,2005 के तहत निस्तारण किया जाना संभव नहीं है। अस्तु, अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

11. आज दिनांकः 10.09.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

12. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

13. निर्णय घोषित ।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर अलवर (राज0)
जिला कलक्टर, अलवर